न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

अपील संख्या 73/2018

1. सुमेर पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
2. सुभाष पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
3. जगदीश पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।

–– अपीलान्टस

बनाम

1. जयसिंह पुत्र स्व. बिरजुसिहं जाति राजपूत निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
2. कुनणी देवी पत्नी फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
3. मोहरसिहं पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
5. प्रकाश पुत्री फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
6. किरण पुत्री फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।
7. सावित्री पुत्री फुलाराम जाति मेघवाल निवासी कुमावास तहसील व जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्टस

– – –

अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 27.09.2017 उनवानी जयसिहं बनाम मृतक फुलाराम वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्त. अधि. मु.न. 1/2017 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू।

– – –

उपस्थित :–

1. श्री धीरज कुमार बोयल एडवोकेट :– अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री विजय सिहं शेखावत एडवोकेट :– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.07.2019

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 27.09.2017 मु0न0 01/2017 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 व स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट् के अनुसार निम्नानुसार है :– खसरा नम्बर 254 व 255 ग्राम कुमास में जाने के लिये खसरा नम्बर 256 में से कोई रास्ता कभी नहीं रहा। अदालत मातहत ने बिना नक्शा देखे बिना आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। खसरा नम्बर 277 ग्राम कुमास के रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सह खातेदार है जिसमें एक आम रास्ता मौके पर चालु

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खेत में से रास्ता आवागमन हेतु चालु है। खसरा नम्बर 256 में किसी प्रकार का कोई रास्ता चालु ही नहीं इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने बिना किसी कारण से आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। खसरा नम्बर 277 में से आम रास्ता जाता है जो मौके पर प्रचलित है व खसरा नम्बर 256 में से खसरा नम्बर 254 व 255 में जाने के लिये कभी कोई रास्ता नहीं रहा। खसरा नम्बर 256 में उक्त रास्ता तथाकथित रूप से बन्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है खसरा नम्बर 256 में से 254 व 255 में आने जाने के लिये कभी कोई रास्ता नहीं रहा इस कारण खसरा नम्बर 256 में से कोई रास्ता नहीं रहा तो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त रास्ते का वास्तव में कोई उपयोग नहीं किया इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने पत्रावली का बिना अवलोकन किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया। ग्राम कुमास तहसील व जिला झुंझुनू सन् – 1992 – 93 का पटवारी द्वारा नक्शा दिनांक 16.03.2018 को जारी किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का खसरा नम्बर 254, 255 व 256 खेत मे आने जाने के लिये कोई रास्ता मौके पर नहीं है जिससे रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को सुखाचार का हनन हो रहा है। खसरा नम्बर 256 में अपीलार्थीगण द्वारा पक्का निर्माण कर एवं कंटीली झाड़िया डालकर बन्द किये गये रास्ते को खुलवाने का तो प्रश्न नहीं उठता है। फर्द मौका ग्राम कुमास में जो नक्शा दिनांक 04.10.2017 को बनाया गया उसमें रास्ता मौके पर खुलवाकर चालु करवाया गया जबकि पटवारी द्वारा दिनांक 16.03.2018 नक्शा बनाया गया उसमें किसी प्रकार का का नक्शा पत्रावली पर पेश होने के बाद भी रास्ता खुलवाकर अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनू का निर्णय दिनांक 27.09.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 254 व 255 ग्राम कुमास में जाने के लिये खसरा नम्बर 256 में से कोई रास्ता कभी नहीं रहा। अदालत मातहत ने बिना नक्शा देखे बिना आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। खसरा नम्बर 277 ग्राम कुमास के रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सह खातेदार है जिसमें एक आम रास्ता मौके पर चालु है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खेत में से रास्ता आवागमन हेतु चालु है। खसरा नम्बर 256 में किसी प्रकार का कोई रास्ता चालु ही नहीं है। अदालत मातहत द्वारा प्रचलित रास्ते को खोलने के आदेश के बजाय नये रास्ते को खुलवाने के आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों पर आधारित है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत ने दोनों पक्षों को सुनवाई सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अपीलान्टस द्वारा अदालत मातहत के समक्ष साक्ष्य/गवाह के रूप में केवल स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है इनके अलावा अन्य कोई स्वतन्त्र गवाह पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर होता हो कि खसरा नम्बर 256 में से खसरा नम्बर 254 व 255 में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं रहा हो। अदालत मातहत द्वारा आम रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित किया जो कोई विधिक त्रुटि नहीं रही है। अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील में अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनू को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है साथ ही अपीलान्टस् द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनू के यहां भी अपील प्रस्तुत की थी जो क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज की जा चुकी है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 में किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

हमने पत्रावली , दस्तावेजों व तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रकरण में रास्ते की भूमि बाबत विवाद यह रहा है कि खसरा नम्बर 254 व 255 ग्राम कुमास में जाने के लिये खसरा नम्बर 256 में से कोई रास्ता रहा है या नहीं। उक्त बिन्दु पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03.01.2017 को हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई है तथा दोनों पक्षों को साक्ष्य हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष अपना पक्ष रखने में विफल रहे है साथ ही नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा दिनांक 05.10.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर विवादित रास्ते को चालु करवाये जाने की रिपार्ट भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की है। न्यायालय की दृष्टि में अदालत मातहत का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांटस में कोई फोर्स नही है। अतः अदालत मातहत के निर्णय की पुष्टि करते हुये अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। मिसल मातहत अदालत मय आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर झुंझुनू

जिला कलक्टर झुंझुनू